वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट

शिक्षा विभाग हरियाणा

वर्ष 1969-70

प्रकाशक :

निदेशक, शिक्षा विभाग, हरियाणा

विषय वस्तुएं

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1.	सामान्य सार	1— 6
2.	शिक्षा विभाग के अधिकारी और उनका संगठन	7— 9
3.	प्राथमिक शिक्षा	10—14
4.	बुनियादी शिक्षा	15—17
5.	माध्यमिक शिक्षा	18—23
6.	अध्यापक परीक्षण	24—28
7.	यूनीवर्सिटी और महाविद्यालय शिक्षा	29 - 33
8.	समाज शिक्षा	34—36
9.	महिला शिक्षा	37—42
10.	विविध	43—50

अध्याय--1

सामान्य सार

(1) वर्तमान प्रशासनिक रिपोर्ट 1969-70 से सम्बन्धित है।

(2) भिन्न-भिन्न प्रकार की सस्थाओं और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की 31-3-1970 तक गिनती निम्नलिखित है :–

संस्था का प्रकार	31-3-70 तक संस्थाओं की संख्या	31-3-70 तक छात्रों की संख्या	स्तर अनुसार
प्राइमरी स्कूल	4274	862114	-
माध्यमिक स्कूल	770	331647	
उच्च/उच्चतर विद्यालय	853	129040	
महाविद्यालय	62	61483	

(2) प्रारम्भिक कक्षाओं में 6 से 11 वर्ष के आयु वाले बच्चों की प्रवेश संख्या का लक्ष्य जो कि जब तक प्राप्त किया गया है, राष्ट्रीय लक्ष्य से पिछड़ा हुआ है। उसका कारण यह है कि बच्चों के माता पिता अत्यन्त रुढ़िवादी हैं तथा अपने बच्चों की पर्याप्त संख्या में स्कूलों में नहीं भेजते। इसी प्रकार सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जातियों के लोग अपने बच्चों को कुछ कठिनाईयों के कारण स्कूलों में नही भेजते।

3. अनूसुचित जाति तथा पिछड़ी हुई जातिओं के बच्चों की भलाई के लिए छात्रवृत्तियां

अनुसूचित जाति और पिछड़ी हुई जातियों के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 1969-70 में योजनेतर पक्ष तथा योजना पक्ष पर क्रमश: 19,90,000 और 19,00,000/- रु० की व्यवस्था की गई थी। इन

बच्चों को न सिर्फ शिक्षा सम्बन्धी कालिजों में बल्कि व्यवसायिक तथा तकनीकी महाविद्यालयों में भी छात्रवृति दी जाती है। ऐसे बच्चों को शिक्षा संस्थाओं द्वारा ली गई फीस भी बाद में लौटा दी जाती हैं।

विमुक्त जातियों के लिए इस वर्ष योजनेतर तथा योजना पक्षों पर क्रमशः 13,300 और 28000/- रुपये की व्यवस्था की गई।

4. भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृति योजना

यह योजना 1961-62 से महाविद्यालय के छात्रों को प्रोत्साहित करने और उनकी शिक्षा जारी करने के लिए चालू की गई है। 1969-70 में योजना के अधीन 575 और छात्रों को या तो नई छात्रवृतियां दी गई या पुरानी छात्रवृतियों का नवीकरण किया गया। इस पर 3,90,733 रुपये खर्च हुए।

5. प्राथमिक स्कूलों तथा माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के बच्चों के लिए योग्यता छात्रवृति

यह योजना भी 1961-62 से चालू है। इस योजना के अधीन 1969-70 में 39 अध्यापकों के बच्चों को नई छात्रवृतियां दी गई और इसके अतिरिक्त उन बच्चों को जो इस योजना के अधीन पहले से ही छात्रवृति ले रहे थे, छात्रवृतियों का नवीकरण किया गया। इस साल इस योजना के अधीन 32390 रुपये की राशि खर्च की गई।

उपरोक्त छात्रवृतियों के अतिरिक्त भारत सरकार तथा राज्य सरकार की तरफ से योग्यता के आधार पर प्री-मैट्रिक स्टेज और पोस्ट मैट्रिक स्टेज पर बहुत सी छात्रवृतियों की व्यवस्था की गई परन्तु ऐसे बच्चों के पिता की आय 6,000 रुपये वार्षिक से ऊपर नहीं होनी चाहिए। योग्यता के आधार पर माध्यमिक स्तर पर और उच्च तथा उच्चतर स्तर पर भी छात्रवृति दी जाती है। इस वर्ष भारत सरकार/राज्य सरकार ने प्री-मैट्रिक/पोस्ट-मैट्रिक स्तर पर क्रमशः 4,64,580/- रुपये तथा 20,33,700/- रुपये की छात्रवृतियां दी गईं।

6. महाविद्यालय शिक्षा

1·11-66 को राजकीय/अराजकीय महाविद्यालय के प्राध्यापकों का वेतनमान संशोधित किया गया था और वर्ष 1969-70 में अराजकीय कालिजों को 13.50 लाख का सहायता अनुदान दिया गया।

कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय के विकास के लिए इस वर्ष 25 लाख रुपये का सहायता अनुदान दिया गया और पंजाब युनिवर्सिटी चण्डीगढ़ को 15 लाख का सहायता अनुदान दिया गया जिसमें 4,67,126/- रुपये भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार ने दिये थे। कुरुक्षेत्र में जो महाविद्यालय चल रहे हैं उनका सम्बद्ध तो कुरुक्षेत्र विश्व विद्यालय से ही है परन्तु इस राज्य के शेष समस्त कला और साईंस महाविद्यालय, पंजाब युनिवर्सिटी चण्डीगढ़ से ही सम्बन्धित है।

7. एन० सी० सी० योजना

1969-70 में हरियाणा राज्य में 23 एन० सी० सी० यूनिटें थीं और इस राज्य के समस्त आर्ट्स और सांईस महाविद्यालयों में एन० सी० सी० योजना चालू है। स्कूलों में एन० सी० सी० ग्रुपों की गिनती 194 है। महाविद्यालय स्तर पर और महिला कैडिटस के लिए अलग-अलग प्रबन्ध किया गया है। इस साल कालिजों में एन० सी० सी० कैडिटस की संख्या 25,000 थी और स्कूलों में इन कैडिटस की संख्या 19,100 थी।

8. राष्ट्रीय फिटनैस कोर्स

पहले इस राज्य में निम्नलिखित तीन योजनाएं चालू की थी उदाहरणतः

(1) फिजीकल एजूकेशन योजना
(2) नैशनल डिसप्लिन योजना
(3) ए० सी० सी० योजना

इन तीनों योजनाओं के प्रोग्राम को मिलाकर राष्ट्रीय फिटनैस कोर्स कार्यक्रम बनाया गया और यह कार्यक्रम अब राज्य में चालू है ।

9 अपग्रेडिंग आफ स्कूलज

1969-70 में जिन स्कूलों का स्तर बढ़ाया गया है उनका ब्यौरा निम्नलिखित है :

(1)	प्राथमिक स्कूलों को माध्यमिक स्तर का बनाना	= 75
(2)	प्राथमिक स्तर के स्कूलों को उच्च बनाना	= 77

इस साल उपरोक्त स्कूलों के नये अध्यापकों के पदों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(1)	मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापकाएं	= 77
(2)	ग्र जुएट अध्यापक/अध्यापकाएं	=487
(3)	नान ग्रेजुएट अध्यापक/अध्यापकाएं	=324
(4)	लिपिक	= 77
(5)	चौथी श्रेणी के कर्मचारी	= 29

10 प्राथमिक शिक्षा के लिए अतिरिक्त अमला

1969-70 में स्कूलों की बढ़ती हुई संख्या को सम्मुख रखते हुए 1100 अध्यापको के पद स्वीकृत किये गये ।

11 प्रशासकीय तथा शिक्षण अमले की भर्ती

इस राज्य में सात जिले हैं और हर जिले का पूर्ण नियन्त्रण जिला शिक्षा अधिकारी के अधीन है। जिला शिक्षा अधिकारी अब श्रेणी (1) के अधिकारी है। यह अधिकारी निदेशालय की नीति जिले में प्रचलित करते हैं और जिले के स्कूलों में पूर्ण विकास के जिम्मेदार भी हैं ।

नान ग्रेजुएट अध्यापकों का पूर्ण नियन्त्रण (नियुक्ति, बदली आदि) जिला शिक्षा अधिकारी के पास है। परन्तु ग्रेजुएट अध्यापकों/प्राध्यापको तथा मुख्याध्यापकों आदि का निन्यत्रण निदेशालय के पास ही है।

12 बेसिक शिक्षा

प्राथमिक स्कूलों का जो नया पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें बेसिक शिक्षा के मुख्य कार्यों जैसे कि आमोद-प्रमोद, खेलें, शिल्प इत्यादि, को सम्मिलित किया गया है ताकि प्राथमिक स्कूलों का पाठयक्रम लाभदायक भी हो और रोचक भी।

13 व्यय

वर्ष 1969-70 में कुलखर्च 15,92,78,290/- रुपये थे और भिन्न 2 स्टेज का व्यौरा निम्नलिखित है।

प्रत्यक्ष व्यय

संस्था का प्रकार (Kind of institution)	योजना	योजनेतर	कुल जोड़
विश्वविद्यालय	23,76,600	49,69,080	73,45,680
आर्टस महाविद्यालय	17,45,000	57,94,675	75,39,675
माध्यमिक विद्यालय	46,67,280	8,37,88,285	8,84,55,565
प्राथमिक विद्यालय	23,70,900	4,04,37,285	4,28,08,185
वशिष्ट विद्यालय जिनमें प्रशिक्षण विद्यालय भी शामील हैं।	1,00,380	7,23,410	8,23,790
कुल जोड़	1,12,60,160	13,57,12,735	14,69,72,895

परोक्ष व्यय

संस्था का प्रकार (Kind of institution)	योजना	योजनेतर	कुलजोड़
निर्देशन, निरीक्षण तथा विविध जिनमें छात्रवृति का खर्च भी सम्मिलित है	36,29,800	86,75,595	1,23,05,395
कुल जोड़	1,48,89,960	14,43,88,330	15,92,78,290

अध्याय–2

शिक्षा विभाग के अधिकारी और उनका संगठन

इस वर्ष शिक्षा विभाग का नियन्त्रण श्री बंसी लाल, मुख्य मंत्री और श्री खुरशीद अहमद, स्वास्थ्य मंत्री, के पास रहा।

सचिवालय

सचिवालय-स्तर पर शिक्षा आयुक्त, श्री बी० एल० आहूजा, शिक्षा विभाग के संचालक रहे। उनकी सहायता के लिए श्री जगदीश चन्द्र भोला, आई० ए० एस० और श्री सरनागत सिंह, एच० सी० एस० ने क्रमशः उप सचिव और अवर सचिव का कार्य भार सम्भाल रखा।

निदेशालय

रिर्पोटाधीन अवधि में श्री डी० आई० लाल ने दिनांक 1-4-69 से 3-11-69 तक निदेशक शिक्षा विभाग के तोर पर कार्य किया और उनकी सेवा निवृति होने के बाद अवकाश काल के दौरान श्री जगदीश चन्द्र भोला ने उप सचिव के अतिरिक्त निदेशक, शिक्षा विभाग का कार्य भार सम्भाला और दिनांक 25-12-69 को श्री वी० के० सिबल, आई० ए० एस० ने शिक्षा-निदेशक का कार्य भार सम्भाला।

निदेशालय में निदेशक महोदय की सहायता के लिए इस अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी काम करते रहे :--

(1) उप निदेशक, एच० ई० एस० (1)=3

(2) प्रशासन अधिकारी, एच० सी० एस० (1)=1

(3) साल के शुरू में एक सहायक निदेशक, एच० ई० एस०=1 श्रौर पांच सहायक निदेशक, एच० ई० एस० 11 थे। परन्तु साल के मध्य में पांच सहायक निदेशकों के पद श्रस्थाई तौर पर कम कर दिये गये।

ज़िला स्तर पर निरीक्षण

इस राज्य में सात ज़िले हैं श्रौर हर ज़िले का नियन्त्रण ज़िला शिक्षा अधिकारी को दिया गया है। ज़िला शिक्षा अधिकारी स्कूल स्तर पर शिक्षा सम्बन्धी प्रत्येक प्रकार की गतिविधियों के लिए जिम्मेवार है श्रौर सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीति को कार्यान्वित करते है। ये नान ग्रेजुएट अध्यापकों जिनकी वरिष्ठता ज़िला स्तर पर होती है, नियुक्ति के लिए सक्षम अधिकारी भी हैं।

ज़िला स्तर पर ज़िला शिक्षा अधिकारी के लिए उप ज़िला शिक्षा अधिकारी सहायक शिक्षा अधिकारी (स्वास्थ्य) नियुक्त किया गया है श्रौर खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्य करते हैं। खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने खण्ड की प्राथमिक शिक्षा (प्राइमरी शिक्षा) का निरीक्षण, नियन्त्रण श्रौर प्रत्येक प्रकार की देख भाल के जिम्मेवार हैं। ज़िला स्तर पर एक महिला उप ज़िला शिक्षा अधिकारी, महिला अध्यापकों के हितों की देख भाल के लिए आवश्यक तौर पर नियुक्त की जाती है, बशर्ते कि ज़िला शिक्षा अधिकारी स्वयं महिला न हो।

इस समय में राज्य में प्रगति विकास खण्डों की संख्या 82 है। परन्तु शिक्षा विकास खण्डों की संख्या 107 है।

सामाजिक शिक्षा केन्द्रों का निरीक्षण एंव प्रशासन

ज़िला स्तर पर यह काम ज़िला शिक्षा अधिकारी को दिया गया है परन्तु निदेशालय स्तर पर यह कार्य मध्य अक्तूबर तक सहायक निदेशक, समाज शिक्षा चलाते रहे हैं श्रौर जब इस सहायक के पद को रिक्त रखने का निर्णय हुआ तो यह कार्य उप निदेशक विद्यालय को सौंप दिया गया।

विद्यालय प्रशासन

राज्य में दो प्रकार के विद्यालय हैं :

(1) राजकीय विद्यालय

(2) अराजकीय विद्यालय

राजकीय विद्यालयों का समस्त नियन्त्रण हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा होता है। शिक्षा विभाग की सहायता के लिए ज़िला स्तर पर शिक्षा अधिकारी/उप जिला शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी नियुक्त है। अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन/प्रबन्ध उनकी अपनी-अपनी प्रबन्धक कमेटियां चलाती है। परन्तु जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है शिक्षा विभाग इन स्कूलों को मान्यता देता है और ऐसे स्कूलों का निरीक्षण भी निदेशालय अधिकारी या क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ऐसे विद्यालयों को हरियाणा सरकार द्वारा सहायता अनुदान किया जाता है।

विश्व विद्यालय/महाविद्यालय

राजकीय महाविद्यालयों का प्रशासन तथा निरीक्षण शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है परन्तु अराजकीय महाविद्यालयों जो भिन्न-भिन्न संस्थाओं के अधीन खोले गये हैं प्रशासन उनकी अपनी ही संस्था करती है परन्तु उन्हें शिक्षा नीति विश्व विद्यालय की नीति अनुसार ही अपनानी होती है। अराजकीय महाविद्यालयों को सहायता अनुदान, साधारण अनुदान और विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान आदि के रूप मे सहायता देती है।

इस राज्य का संबन्ध केवल दो विश्व विद्यालयों से है। एक पंजाब विश्व विद्यालय चण्डीगढ़ और दूसरा कुरूक्षेत्र विश्व विद्यालय, कुरूक्षेत्र। कुरूक्षेत्र विश्व विद्यालया के अधीन केवल स्थानीय महाविद्यालय ही है और इस राज्य के शेष महाविद्यालयों को पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़ ने मान्यता प्रदान की हुई है। और ये पंजाब विश्व विद्यालय के अधीन ही है।

प्रार्थमिक शिक्षा

किसी देश को स्वतत्र बनाये रखने के लिए तथा देश के निवासियों में देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए उस देश के लोगों का शिक्षित होना अनिवार्य है। देश में समाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति (उन्नति) लाने में भी शिक्षा का अत्याधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत एक लोकतंत्र गणराज्य है तथा इस देश के हर प्रौढ़ नर–नारी को वोट देने का अधिकार है। किसी देश में लोक राज्य तभी सफलतापूर्वक चल सकता है यदि उस देश के लोग शिक्षित हों। हरियाणा राज्य शिक्षा क्षेत्र में दूसरे कई राज्यों से काफी पिछड़ा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस राज्य में प्राथमिक शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है तथा शिक्षा संबन्धी विकास योजनाओं मे प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए हर सम्भव यत्न किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा, की आधारशिला है, इसलिए इस का महत्व और भी अधिक हो जाता है।

2 प्रार्थमिक शिक्षा में सुविधा

देश के संविधान के अनुसार भी 6 से 14 साल की आयु के बच्चों के लिए सामान्य शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है परन्तु हरियाणा राज्य में 6 से 11 साल की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा स्कीम चालू की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 40 या 50 प्राथमिक स्कूल ऐसे गावों मे खोले जा रहे हैं जहां पहले से बच्चों को अपने गांव में यह सुविधा नही थी। वर्ष 1969-70 में 50 प्राइमरी स्कूल खोले गये हैं ताकि छोटे-छोटे बच्चे दूर जाने की अपेक्षा निकट के स्थानों पर ही प्रार्थमिक शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त अनेक शाखा प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यावस्था भी

की गई है। वर्ष के अन्त में, 31-3-70, को प्राइमरी स्कूलों की संख्या 4274 थी । प्राइमरी स्कूलों के अतिरिक्त कुछेक उच्च, उच्चतर विद्यालयों को छोड़कर बाकि सभी माध्यमिक, उच्च उच्चतर स्कूलों में भी विद्यार्थियों के लिए इर स्कूलों के प्राइमरी बिभागों में पढ़ने की सुविधा है।

3 छात्र संख्या

विद्यालयों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ प्राथमिक स्कूलों तथा विभागों में विद्यार्थिवो की सस्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 1968–69 तथा 69-70 की छात्र संख्या नीचे तालिका में दी गई है :

वर्ष	लड़के	लड़कियां	कुल
1968-69	612416	242868	855284
1969-70	622568	239546	862114

4 अध्यापक

प्राथमिक शिक्षा के लिए वर्तमान समय में अध्यापकों के न मिलने की कोई समस्या नही है परन्तु फिर भी बहुत पिछडे हुए क्षेत्रों में महिला अध्यापिकाएं वहां जाने के लिए उत्सुक नही होती। इस बढ़ती हुई संख्या को ध्नान में रखते हुए इस वर्ष 1100 जे० बी० टी० अध्यापकों के अतिरिक्त पद भी दिये गये ताकि विद्यार्थी विद्यालयों में सुचारू रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके । अभी तक प्राथमिक स्कूलों में 1:50 अध्यापक तथा छात्र अनुपात का रखा जा रहा है। परन्तु यह अनुपात एक अध्यापक वाले स्कूलों में कम ही रहता है । प्राइमरी विद्यालयों में 200 पद स्कूल माताओं के बनाये गये ताकि ये माताएं बच्चों में खेल कूद में रूचि उत्पन्न करने हेतु तथा उनके शारीरक विकास की ओर ध्यान दें।

5 शिक्षा के स्तर में सुधार

राज्य में प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए तथा उनमें नये-नये सुधार लाने के लिए एक राज्य शिक्षा संस्थान करनाल में खोला गया जिसने अपना कार्य 1969 से आरम्भ किया तथा इस संस्थान में निम्नलिखित 5 यूनिटें काम कर रही हैं।

(1) मार्ग दर्शन।
(2) मुल्यांकन
(3) भाषा यूनिट
(4) दृश्य-श्रव्य यूनिट
(5) सेवा के दौरान शिक्षा यूनिट

यह सभी यूनिट राज्य की प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे है। प्राथमिक शिक्षा के कई क्षेत्रों में कई सर्वेक्षण तथा कई अनुसधान किये गए है जिनका परिणाम शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। 1969-70 में एक अनुसंधान परियोजना प्राथमिक शिक्षा पर हो रहे अपव्यय तथा इसके गतिरोध के संदर्भ में चालू हुई। क्योंकि जितने भी विद्यार्थी प्रथम कक्षा में प्रविष्ट होते है उनमें से केवल 40% विद्यार्थी ही 5वीं श्रेणी तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और शेष 60% विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने से पहले ही स्कूल छोड़ जाते हैं। इस हानि को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग हर सम्भव प्रयत्न कर रहा है। तथा विशेषकर 6-11 वर्ष की आयु तक की बालिकाओं को स्कूलों में रखने के लिए भान्ति-भान्ति के प्रलोभन देने पर भी गम्भीरता से विचार हो रहा है।

राज्य शिक्षा संस्थान ने प्राइमरी स्कूलों के बच्चों का हिन्दी लेख सुधारने के लिए भी राज्य के 268 प्राइमरी स्कूलों में एक परियोजना शुरू की। यह परियोजना सितम्बर 69 से दिसम्बर 69

तक की गई तथा इसमे इन स्कूलों के अध्यापकों के लेख को सुधारने के लिए भी उनको विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।

6 निरीक्षण

प्राथमिक स्कूलों के निरीक्षण का उत्तरादायित्व खण्ड शिक्षा अधिकारीयों पर है। हरियाणा में इस समय इन स्कूलों के प्रशासन तथा निरीक्षण लिए 107 खण्ड शिक्षा अधिकारी है और हर खण्ड शिक्षा अधिकारी के अधीन 40 से 45 तक प्राइमरी स्कूल हैं। जिनका निरीक्षण तथा प्रशासन के लिए वे उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त ज़िला शिक्षा अधिकारी इन विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण भी करते है।

7 प्री-प्रामइरी शिक्षा

वर्ष 1968-69 के अन्त तक हरियाणा में कुल 2 प्री-प्राइमरी स्कूल थे। वर्तमान समय में प्री-प्राइमरी शिक्षा को भी काफी महत्व दिया जा रहा है क्योंकि तीन वष से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के बालकों के मन में शिक्षा के प्रति रूचि को जागृत करनी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से वर्ष 1969-70 में दो और प्री–प्राइमरी स्कूल एक सांपला (रोहतक) और दूसरा लोहारू माधो (हिसार) मे खोले गये हैं।

8 भवन तथा अन्य सुविधाएं

प्राथमिक स्कूलों भवनों की हालत बहुत दयनीय है। विद्यार्थियों के बैठने के लिए भी ठीक प्रकार से कमरे तथा अन्य साज़ सामान की अति कमी है। इस दशा को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग गांव की पंचायत, तथा वहां के समुदाय की सहायता से स्कूलों के नये भवनों को बनवाने तथा उनमें पूरा साज समान जुटाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है। जहां पर श्रेणियों के लिए कमरे इत्यादि नहीं है वहां पर सस्ते शैड बनवाने की व्यवस्था भी की गई है। 1969-70 में

चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत सुविधा प्रदान करने संबंधी स्कीम के अन्तर्गत 11 लाख 12 हजार रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी गई तथा यह भी किया गया कि पिछड़े हुए क्षेत्रा मे वहां के स्थानीय निवासी उस स्थान पर होने वाले खर्च के लिए 25% राशि स्वयं इकट्ठी करे, तथा अन्य इलाकों के लिए अनुपात बराबर का कर दिया गया है। रिर्पोट के वर्ष में 2 लाख रुपये की राशि 500 रु० प्रति स्कूल के हिसाब से 400 प्राइमरी स्कूलों के लिए साज़ सामान खरीदने के बास्ते भी स्वीकृत की गई।

9 कार्य-अनुभव योजना

कार्य अनुभव योजना के अन्तर्गत 20 प्राइमरी स्कूलों में शिल्पकारी आदि सीखने के लिए 500 रु० प्रति स्कूल के हिसाब से दिए गए। इस वर्ष में केवल प्राइमरी शिक्षा के विकास के लिए 4,19,05921 रु०खर्च किए गये जो कि कुल व्यय का 36.4% हिस्सा बनता है।

10 इन्डो केयर फीडिंग स्कीम

चौथी पंच वर्षीय योजना में वर्ष 69-70 में प्राथमिक शिक्षा में विकास तथा सुधार हेतु इन्डो केयर फीडिंग स्कीम चलाई गई। इसके अतिरिक्त बच्चों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए 58 विकास खंडों में यह प्रोग्राम जारी किया गया है जिसके अनुसार बच्चों को स्कूलों में पीने के लिए दूध बांटा जाता है।

बुनियादी शिक्षा

1. बुनियादी शिक्षा बालक के किशोरावस्था में सर्वगीण विकास पर केन्द्रीत है । यह प्रणाली बालक के सामाजिक तथा निजी वातावरण से संबन्धित है। शिक्षा देते समय कार्य-अनुभव जिससे कि बालक को शिल्प में प्रारम्भिक प्रशिक्षण देने पर बल दिया जाता है, का विश्वास किया जाता है । ऐसी शिक्षा बालक के जीवन से संवंध रखती है और इस प्रकार यह बालक को पूरे विकास का पूरा अवसर देती है। बुनियादी शिक्षा के माध्यम से ही बालक को दूसरी किताबी शिक्षा दी जाती है। इससे बच्चे की रूचि बनी रहती है और वह वड़ा हो कर समाज का एक योग्य नागरिक बन जाता है।

2. हरियाणा के लगभग सभी प्राइमरी स्कूल बुनियादी शिक्षा की प्रणाली का ही अनुकरण करते हैं। इसके अतिरिक्त वहुत से माध्यमिक स्कूलों में भी बुनियादी शिक्षा के अनुमार ही शिक्षा दी जाती है । फिर भी इस राज्य में वहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें बुनियादि शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है । हमारे देश में शिक्षा-प्रणाली पुस्तकों तथा परीक्षा के भार से दबी रही है जिसके परिणाम-स्वरूप वच्चा स्कूल में आते ही पुस्तकों और परीक्षा के भार से दव जाता है । इससे उसका शरीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। छोटी कक्षाओं में वच्चों की रूचि भी अपनी कितावों में नही रहती क्योंकि यह शिक्षा जीवन से सदा दूर रहती है । वच्चा समाज का एक अंग है इसलिए शिक्षा प्रणाली ऐसी ही जिसमें वालक अपने आपको समाज का एक योग्य नागरिक समझ सके। इसमें कोई संदेह नही है कि समय समय

पर इन प्रणाली को प्रभावपूर्ण बनाने के प्रयत्न किए गए हैं। फिर भी राज्य की शिक्षा-प्रणाली एक प्रकार से अधिक शिक्षात्मक ही रही है। इस प्रकार की शिक्षा-प्रणाली न तो गांव में रहने वाले युवकों को कृषि के योग्य और न ही शहर के युवकों को व्यापार और शिल्प के योग्य बनाने में उपयोगी रही है।

3. चूंकि हरियाणा राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है, शिक्षा-प्रणाली भी कृषि प्रधान होनी चाहिए, वर्तमान समय में हरियाणा में काफी औद्योगिक उन्नति हुई है। इसलिए आज की शिक्षा-प्रणाली कृषि एवं उद्योग प्रधान होनी चाहिए। और शिक्षा के विकास का क्षेत्र अधिक विशाल किया जाना चाहिए ? बालक के मस्तिषक, हृदय तथा हाथों को कुशल होने का पूरा-पूरा अवसर मिलना चाहिए। इसलिए शिक्षा विभाग की प्रारम्भिक कक्षाओं का पाठयक्रम बुनियादी शिक्षा पर आधारित है तथा जहां तक सम्भव है प्रयोगात्मक क्रियाओं जैसे कृषि, कताई, बुनाई के पाठ्यक्रम में पूरा स्थान दिया गया है। बुनियादी शिक्षा को नये ढांचे में डालने के लिए तथा इस उद्देश्य से कि बालकों को अपनी-अपनी कक्षाओ में ही वातावरण के अनुसार कार्य-अनुभव का ज्ञान दिया जाए, एक प्रारम्भिक परियोजना, जिसमें कार्य-अनुभव योजना का समावेश है, प्रारम्भ की गई है। इस प्रयोजना के अन्तर्गत बालक को स्कूलों के भीतर तथा बाहर के वातावरण के अनुसार उसकी कक्षा के स्तर को देखते हुए निम्मनलिखित प्रकार के कार्य -अनुभवों का ज्ञान दिया जाता है :-

1. घर में फल-सब्जियां आदि लगाना।
2. कृषि
3. कागज तथा गत्ते का काम
4. मिट्टी का काम
5. लोहे का काम
6. लकड़ी का काम
7. सिलाई का तथा बुनाई का काम

8. छोटे पैमाने पर बिजली का काम
9. घरेलू कार्य में काम आने वाले औज़ार
10. कताई तथा बुनाई का काम
11. बर्तन बनाना
12. घरेलू दस्तकारी
13. जिल्द साजी
14. चमड़े का काम इत्यादि

वर्ष 69-70 में शिक्षा विभाग ने इस स्कीम में 50 हजार रुपये खर्च किए तथा 25 उच्च तथा उच्चतर, 15 माध्यमिक और 20 प्राइमरी स्कूलों मे इसको आरम्भ किया गया। स्कूल तथा घरेलू वातावरण के अनुसार ऊपरलिखित तथा अन्य कार्यों में से किसी भी कार्य को चुनाव करने की सुविधा दी गई है। इन दस्तकारियों में से अनुसंधान के कार्य को भी प्रधानता दी गई है।

हरियाणा में शिक्षा के इस क्षेत्र में अनुसंधान करने हेतु करनाल में राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई जिसने अपने कार्य को 69-70 में शुरू किया।

बुनियादी शिक्षा के राष्ट्रीय ढंग को अपनाने के लिए उत्तर-स्नातक स्तर पर भी इसको अपनाया गया है। राज्य के पुनगठन के पहले राज्य में माध्यमिक स्कूलों के लिए उत्तर-स्नातक स्तर पर बी: टी: और बी: एड: दोनों प्रकार के प्रशिक्षण चल रहे थे परन्तु अब बी: टी: के पुराने प्रकार के प्रशिक्षण को बी: एड: के बुनियादी शिक्षा के आधार पर चल रहे प्रशिक्षण कक्षाओ के साथ मिला दिया गया है और अब राज्य में केवल उत्तर-स्नातक स्तर पर बी: एड: के प्रशिक्षण की कक्षाए ही चल रही हैं।

माध्यमिक शिक्षा

1 हरियाणा शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 1969-70 में महत्वपूर्ण उन्नति की है। इस समय में 75 राजकीय प्राथमिक स्कूलों का स्तर मिडल तक बढ़ाया गया है और 77 राजकीय मिडल स्कूलों का स्तर उच्च स्तर तक किया गया है। इस प्रकार राज्य में 31-3-70 को माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार थी :-

स्तर	राजकीय	अराजकीय	कुल
मिडल, स्तर	740	30	770
उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर	690	163	853

2. सामान्य तौर पर उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गई है तथा इनके बढ़ने से जहां पर 1968-69 में एक उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल 56 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या के लिए था, अब उस स्थान पर एक स्कूल 52 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या के लिए हो गया है :

3 छात्रसंख्या

लोगों में भी अपने बच्चों को माध्यमिक शिक्षा दिलवाने की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग भी विद्यालों में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ाने के लिए हर

सम्भव यत्न करता रहा है। इन सभी यत्नों के परिणाम-स्वरूप इन माध्यमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। राजकीय तथा अराजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या पहले साल की अपेक्षा काफी बढ़ गई है :-

स्तर	1968-69			1969-70		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
मिडल स्कूल स्तर	242147	65731	307878	261739	69908	331647
उच्च तथा माध्यमिक स्तर	88264	22610	110874	102559	26451	129040

3 अतिरिक्त पद

बढ़ती हुई छात्र-संख्या के कारण विद्यालयों में अध्यापकों के बोझ को कम करने के लिए तथा विद्यार्थियों को सुचारु रूप से शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग ने जिन स्कूलों का स्तर वर्षों 67-68, 68-69 और 69-70 में बढ़ाया था उनमें इस वर्ष निम्नलिखित अतिरिक्त पद दिये हैं :-

माध्यमिक विद्यालयों के लिए

पद की कोटि	जितने नये पद बनाए गए	वेतनमान
1. अध्यापक/अध्यापिकाएं	195	220/400
2. सी एंड वी/जे. बी. टी टीचर	247	125/250
3. चतुर्थ श्रेणी	75	70/85

उच्च विद्यालयों के लिए

1.	मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिकाएं	77	300/600
2.	अध्यापक/अध्यापिकाएं	292	220/400
3.	पी: टी: आई:	77	125/250
4.	लिपिक	77	110/225
5.	चतुर्थ श्रेणी	154	70/85

5 छात्र-अनुपात

इन नये पदों से अध्यापक छात्र अनुपातमें भी काफी सुधार हुआ है। अध्यापक-छात्र अनुपात वर्ष ६९-७० में इस प्रकार रहा है:---

माध्यमिक पाठशाला=30:1

उच्चतर माध्यमिक पाठशाला=25:1

6 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के स्तर को घटा कर उच्च बनाना

उच्च विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाने की योजना वर्ष 1958 में शुरू की गई थी और उस समय कुछ ऐसे स्कूलों का स्तर भी उच्चतर किया गया था जो इस के योग्य नही थे। ऐसी पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या नाम-मात्र थी। वर्ष 1969-70 में 8 ऐसे राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के स्तर को घटा कर उच्च स्तर तक किया गया। इससे सरकार को ऐसे विद्यालयो से बहुत बचत हुई है।

7 भाषा नीति और भाषाई अल्प संख्यक

हरियाणा राज्य एक भाषी राज्य है और इसकी राजकीय भाषा हिन्दी है। यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य

रूप से पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी की शिक्षा दूसरी भाषा के रूप में छटी कक्षा से शुरू की जाती है। 7वी और 8वीं कक्षाओं में संस्कृत, उर्दू, पंजाबी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में पढाया जाता है। हरियाणा में भाषाई अल्पसंख्यकों को यह अधिकार भी दिया गया है कि यदि किसी कक्षा में 10 बच्चे अपनी भाषा पढना चाहते हैं तो वे यह भाषा अतिरिक्त विषय के रूप में पहली श्रेणी से ही पढ़ सकते हैं।

8 विद्यार्थियों में भावनात्मक एकता लाने के लिए राज्य में कुछ चुने हुए विद्यालयों में तैलगू भी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे स्कूलों में छात्र 7वी, 8वीं श्रेणियों में उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, तैलगू मे से कोई भी एक विषय ले सकते हैं।

हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना

9 हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने का प्रश्न काफी समय से विभाग में चलता रहा था। वर्ष 69-70 में हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई तथा इसने अपना कार्य इसी अवधि में शुरू किया। हरियाणा में इस बोर्ड ने मार्च 70 में पहली बार उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएं ली। इससे पहले ये परीक्षायें पंजाब विश्वविद्यालय लिया करता था। हरियाणा बोर्ड ने परीक्षा-कार्य बड़ी सफलतापूर्वक किया तथा पिछले सालों से विद्यार्थियों में नकल करने की जो बुराई प्रचलित थी, उस समस्या पर भी बहुत सीमा तक काबू पाया गया है। हरियाणा बोर्ड परीक्षा लेने के अतिरिक्त उच्च शिक्षा स्तर को ऊंचा करने के लिए भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे रहा है।

10 भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध करना:----

स्थानीय जनता ने राज्य मे शिक्षा के विकास के लिए अत्यधिक उत्साह दिखाया है। इस वर्ष स्थानीय जनता ने स्कूलो में भौतिकमु

धाओं के सुधार के लिए तथा अन्य साज सज्जा आदि के लिए 8 लाख रुपये का योगदान दिया है तथा इतनी ही अनुदान राशि राज्य सरकार ने स्कूलों में भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए स्वीकृत की। केवल यही नहीं, ग्राम पंचायत ने ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त अध्यापक और अध्यापिकाओं के रहने के लिए मकान इत्यादि भी बनवाए। इस कार्य मे वर्ष 69-70 में जिला हिसार सब से आगे रहा है। दूसरे जिलों में भी ग्राम पंचायतों पर इसका काफी प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी अध्यापक और अध्यापिकाओं के लिए रिहायशी मकान बनवाने हेतु धन इकट्ठा किया हुआ है ताकि अध्यापकों को शहरों में न जाना पड़े और वो वहीं रहकर अपने कार्य में रुचि ले सकें।

11 स्कूल केन्द्रः--

कोठारी आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य के 6 स्कूलों में केन्द्र भी आरम्भ किये गये हैं। इनका मुख्य लक्ष्य यह है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अधिक लचकीला और अच्छा बनाया जा सके तथा प्राथमिक स्कूल भी अपने साथ वाले उच्चतर स्कूलों से मार्ग-दर्शन प्राप्त कर सकें। केन्द्र का ढांचा इस प्रकार है :--

उच्च या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को केन्द्र मान कर उसके 3 या 5 मील के क्षेत्र मे सभी राजकीय माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय उसके अधीन हो जाते हैं। ऐसे उच्च या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अपने अधीन चल रहे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के स्टाफ का भी मार्ग दर्शन देते हैं। इस वर्ष इस योजना पर 48 हजार रुपये की राशि व्यय की गई है।

12 विज्ञान शिक्षा में सुधारः---

बहुत से उच्च विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाएं नाम-मात्र की थी। विज्ञान की शिक्षा को सुचारू रुप से चलाने के लिए उच्चतर स्कूलों में प्रयोग शालाओं का होना अति आवश्यक है। इस बात को ध्यान में

रखते हुए वर्ष 69-70 में 9-58 लाख रुपये की लागत से 51 विज्ञान कक्षों के निर्माण की स्वीकृति दी गई जिनकी ज़िले वार बांट निम्नलिखित है। इसके अतिरिक्त विज्ञान के सामान इत्यादि के लिए भी स्वीकृतियाँ दी गई:--

अम्बाला	=	6
करनाल	=	6
रोहतक	=	8
हिसार	=	14
गुड़गाँव	=	8
महेन्द्रगढ़	=	3
जीन्द	=	6
कुल	=	51

13 सेवा के दौरान प्रशिक्षण:-

वर्ष 69-70, में राज्य शिक्षा संस्थान, हरियाणा की स्थापना भी की गई थी। इस संस्थान में अध्यापकों को सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने के लिए भी कई तरह के कई विषयों पर सैमीनार किया। जिनमे से कुछेक का ब्यौरा नीचे दिया गया है। साईस वर्कशाप सैमीनार, हिसार, रिवाड़ी, सोनीपत, करनाल तथा अम्बाला मे 11-12-69 से लेकर 23-1-70 तक दो-दो दिन हर ,स्थान पर आयोजित किया गया।

14 सामाजिक अध्ययन में दृश्य-श्रव्य साधनों के महत्त्व पर सैमी- नाहरा (रोहतक) नारनौल (महेन्द्रगढ) और वादशाहपुर (गुड़गाँव) में तीन-तीन दिन के लिए आयोजित किया गया। इस प्रकार इस संस्थान की अलग-अलग इकाइयों ने माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए पूरा प्रयास किया है।

अध्यापक प्रशिक्षण

अध्यापक के प्रशिक्षण पर ही राज्य की शिक्षा का स्तर निर्भर करता है। हरियाणा राज्य में अध्यापकों के प्रशिक्षण की ओर काफी ध्यान दिया गया है। अध्यापक प्रशिक्षण दो प्रकार का है, एक सेवा-काल से पहले की अविधि में हैं तथा दूसरा प्रशिक्षण जिसमें सेवा में लगे हुए अध्यापकों को शिक्षा सबंधी नयी-नयी विधियों से परिचित करवाया जाता है। पर्याप्त, संख्या में हर शिक्षा स्तर के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की प्राप्ति तथा शिक्षा संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राज्य में वर्ष 69-70 में निम्न प्रकार की प्रशिक्षण कक्षाएं चालू रही है :-

1. सेवा से पहले प्रशिक्षण :–

(1)	जे: बी: टी: कक्षाएं :-	प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए।
(2)	नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण कक्षाएं :-	तीन से पांच साल के बच्चों की शिक्षा के लिए।
(3)	भाषा अध्यापक प्रशिक्षण कक्षाएं :-	हिन्दी तथा संस्कृत अध्यापकों के लिए।
(4)	बी: एड: प्रशिक्षण कक्षाएं :–	माध्यमिक शिक्षा के लिए।
(5)	एम: एड: कक्षाएं :-	

2. बेसिक ट्रेनिंग (जे० बी० टी० प्रशिक्षण विद्यालय) :–

इन प्रशिक्षण संस्थाओं में प्राथमिक स्कूलों तथा कक्षाओं के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इन कक्षाओं में दाखिला मैट्रिक पास करने के बाद मिलता है। वर्ष 69-70 में राज्य की 17 पृथक-पृथक स्वतंत्र प्रशिक्षण संस्थाओं में 34 जे: बी: टी: यूनिटें खोलने की स्वीकृति सैशन 69-71 के लिए दी गई। इनमें 1473 विद्यार्थियों ने प्रवेश पाया। इस प्रकार 1478 विद्यार्थियों में से सन् 1971 में लगभग 1100 ट्रेंड अध्यापक मिल सकेंगे।

3. नर्सरी टीचरज़ ट्रेनिंग :–

हरियाणा में नर्सरी स्कूलों की संख्या नाम-मात्र है। इसलिए इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इस अवधि में दो नये नर्सरी स्कूल शिक्षा विभाग ने साम्पला (रोहतक) और लोहारूमाधो (हिसार) में आरम्भ किए। इस प्रकार हरियाणा राज्य में नर्सरी स्कूलों की कुल संख्या चार हो गई है। नर्सरी स्कूलों में प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1969-70 में 40 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का एक यूनिट सोहन लाल कालेज आफ एजूकेशन-अम्बाला शहर को दिया गया।

4. भाषा प्रशिक्षण कक्षाएं :-

(क) ओ० टी० हिन्दी प्रशिक्षण कक्षाएं :-

इस अवधि में हिन्दी अध्यापकों के लिए राज्य में हिन्दी अध्यापकों की आवश्यकता को देखते हुए निम्नलिखित संस्थाओं को, 40 विद्यार्थी प्रति संस्था, ओ० टी० हिन्दी यूनिट खोलने के लिए

स्वीकृति दी गई। हिन्दी और सस्कृत अध्यापकों के प्रशिक्षण में जनता द्वारा स्थापित इन महाविद्यालयों ने भी पूरा-पूरा सहयोग दिया है :-

1. सोहन लाल कालेज आफ ऐजूकेशन, अम्बाला शहर	=1 यूनिट
2. छोटू राम शिक्षा महाविद्यालय, रो तक	=1 यूनिट
3. हिन्दू शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत	=1 यूनिट
4. छज्जू राम शिक्षा महाविद्यालय, हिसार	=1 यूनिट
5. राजकीय हाई स्कूल, तोपाम	=1 यूनिट

ओ० टी० संस्कृत :–

हरियाणा राज्य को भाषाई नीति में परिवर्तन होने के कारण संस्कृत अध्यापकों की मांग बहुत बढ़ गई है क्योंकि नई भाषा-नीति के अनुसार विद्यार्थियों ने सातवीं और आठवीं कक्षा में संस्कृत-पंजाबी-उर्दू विषयों में से किसी एक विषय को तीसरी भाषा के रूप मे अनिवार्य तौर पर पढ़ना है।

(ख) हरियाणा में भाषाई अल्प संख्या मे थोड़े ही हैं इस लिए लगभग 90% विद्यार्थी माध्यमिक श्रेणियों में संस्कृत का विषय ही पढ़ना चाहते हैं। सस्कृत के अध्यापकों की बढ़ती हुई मांग को सम्मुख रखते हुए ओ० टी० सस्कृत प्रशिक्षण कक्षा के लिए वर्ष 69-70 मे छोटू राम शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक में दो यूनिटें खोलने की आज्ञा दी गई, जिनमें लगभग 80 विद्यार्थियों के प्रवेश का प्रबन्ध किया गया।

बी० ए० प्रशिक्षण कक्षाएं :-

हरियाणा राज्य ने पिछले 4-5 सालोंमें शिक्षा के विकास में बहुत प्रगति की है। तथा माध्यमिक और उच्च विद्यालयों की

संख्या पहले से बहुत बढ़ गई है। इन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या में भी बहुत वृद्धि हुई है। इसलिए इन माध्यमिक स्कूलों के लिए पर्याप्त संख्या मे अध्यापक उपलब्ध करने हेतु निम्नलिखित महाविद्यालयों को पंजाब विश्वविद्यालय ने बी: एड. प्रशिक्षण देने हेतू कक्षाए जारी रखने की स्वीकृति वर्ष 1969-70 में दे दी है। तथा उनमें प्रशिक्षण पाने वालों की संख्या इस प्रकार है :--

	लड़के	लड़कियां
(1) सोहन लाल शिक्षा महाविद्यालय, अम्बाला शहर	103	147
(2) डी०ए०वी० कालिज आफ़ ऐजूकेशन, करनाल		100
(3) रूरल --- सम--- कैथल	101	23
(4) सी० आर० कालिज-सम , रोहतक	230	99
(5) हिन्दू कालिज, सोनीपत	100	100
(6) भगत शिक्षण महाविद्यालय, खानपुर कलां	-	127
(7) वैश्य कालिज, रोहतक	78	71
(8) के० एम० कालिज आफ ऐजूकेशन, भिवानी	124	76
(9) सी० आर० - सम - , हिसार	135	65
(10) कालिज आफ ऐजूकेशन, कुरूक्षेत्र	201	94
(11) सतीश पब्लिक कालिज आफ ऐजूकेशन, रिवाड़ी	116	34

एम० एड० की कक्षायें

हरियाणा में रिपोर्ट-अवधि में केवल राव विरेन्द्र सिंह, कालिज ग्राफ ऐजूकेशन, रिवाड़ी में ही चल रही है तथा उसमें कुल 8 विद्यार्थी शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

बेसिक ट्रेनिंग प्रशिक्षण परिणाम

वर्ष 1970 में जे० बी० टी० परीक्षा का परिणाम जिलेवार निम्नलिखित रहा है.-

	परीक्षार्थियों की संख्या			उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या		
जिला	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
करनाल	1015	645	1660	676	498	1174
गुड़गांव	1563	559	2122	859	415	1274
महेन्द्रगढ़	257	149	406	150	98	248
अम्बाला	347	569	916	250	452	702
रोहतक	1772	1601	3373	1174	1107	2281
हिसार	813	567	1380	571	409	980
जीन्द	359	144	503	237	129	366

यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय शिक्षा

1 उच्च शिक्षा में हरियाणा राज्य ने रिपोर्ट अवधि के दौरान शिक्षा में काफी उन्नति की है और हरियाणा के लोगों में भी अब अपने बच्चो को उच्च शिक्षा दिलवाने का चाव बढ़ता जा रहा है वर्ष 69-70 में उच्च शिक्षा में और विकास करने के लिए तथा छात्राओं को और नये विषयों के अध्ययन की सुविधा देने हेतु निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों में एम: ए: और दूसरे विषय भी चालू किए गए हैं :-

(क) राजकीय महिला कालेज, रोहतक में एम: ए: संगीत की कक्षाएं चालू की गई क्योंकि हरियाणा की लड़कीयों में भी अब संगीत जैसो ललित कलाओं की और रूचि अधिकाधिक बढ़ रही है।

(ख) राजकीय कालेज, हिसार में अर्थशास्त्र तथा राजनैतिक विज्ञान की एम: ए: की कक्षाएं चालू की गई हैं।

(ग) राजकीय कालेज, नारनौल में प्राणिविज्ञान का बिषय आरम्भ किया गया।

२. कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय

यह विश्वविद्यालय 1960-61 में आरम्भ किया गया था। इस समय इसके साथ चार निम्नलिखित कालेज सबन्धित हैं। यह विश्व वद्यालय सम्बध करने वाली संस्था नही हैं :-

1 यूनिवर्सिटी कालेज, कुरूक्षेत्र

2 कालेज श्राफ एजूकेशन, कुरूक्षेत्र

3 राजकीय कालेज. कुरूक्षेत्र

4 कृषि कालेज, कौल (करनाल)

इस विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में संबद्धित विश्व-विद्यालयों में पढने वालों छात्रों की संख्या अगस्त, 1969 में 4256 थी जिनमें 3359 लड़के और 897 लड़कियाँ थी। कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय में त्रिवर्षीय डिगरी कोर्स चल रहा है तथा इसके अतिरिक्त विद्यार्थी निम्नलिखित विषयों का अध्ययन एम: ए: स्तर त भी कर सकते हैं:-

1 अंग्रेजी
2 हिन्दी
3 गणित
4 अर्थ-शास्त्र
5 पुरातन साँस्कृतिक इतिहास
6 विज्ञान
7 रासायनिक विज्ञान
8 वनस्पति विज्ञान
9 प्राणि विज्ञान
10 दर्शन शास्त्र
11 शिक्षा
12 भूगोल
13 इतिहास
14 पाली और प्राकृति
15 भाषा विज्ञान

इस विश्व विद्यालय में 415 छात्रों और 55 छात्राओं को छात्रवृति और वजीफे दिये गये जिन पर कुल 233944 रु० का खर्च हुआ।

3 पंजाब विश्वविद्यालय

हरियाणा राज्य स्थापित होने से पहले जो कालिज पंजाब विश्व विद्यालय से सवन्धित थे इस अवधि मे भी वह पंजाब विश्व विद्यालय के साथ ही संबन्ध रहे हैं। इस स्थिति में कोई परिवर्तन नही आया। इस समय राज्य के 52 अराजकीय और 8 राजकीय महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय के साथ सम्धद्ध हैं। इनमें लडकियों के लिए केवल एक राजकीय कालिज और 11 अराजकीय कालिज हैं। हरियाणा के बहुत से छात्र इस विश्वविद्यालय के विभिन्न-विभिन्न विभागों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राज्य के महाविद्यालयों में जिनका सम्बन्ध पंजाब विश्वविद्यालय से है, वर्ष 69-70 में 57227 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे जिरमें 45042 लड़के और 12185 लड़कियां थी।

4 सुविधाओं में सुधार

वर्ष 1969-70 में महाविद्यालयों में सुविधाओं के सुधार के लिए सरकार ने वार्षिक मुरम्मत इत्यादि पर खर्च करने के अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालय, नारनौल में छात्रावास के दूसरे भाग के निर्माण के लिए 4.28 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की तथा छात्रावास का निर्माण शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त कालिज आफ ऐजूकेशन, कुरुक्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए एक कन्टीन का निर्माण भी आरम्भ किया गया।

5 विज्ञान की शिक्षा में सुधार और उन्नति

वर्तमान युग में विज्ञान की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है इस लिए विज्ञान के विषयों को पढ़ने वाले छात्रों की सख्या में भी वहुत वृद्धि हुई है। महाविद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीचे दी हुई राशि स्वीकृत दी गई:-

संस्था का नाम	संख्या	राशि
1 राजकीय महाविद्यालय, रोहतक	4 प्रयोगशालाए	1,66,000/-
2 - सम , गुड़गांव	4 प्रयोगशालाए	1,66,000/-
3 - सम , नारनौल	2 -सम	1,72 000/-

6 नये पद

बढ़ती हुई छात्र-सख्या के लिए तथा नये-नये विषयों को चालू करने हेतु वर्ष 69-70 में अतिरिक्त 36 पद प्राध्यापको और 12 पद सीनियर प्राध्यापकों के बनाए गए।

7 राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने वर्ष 69-70 में हरियाणा के महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को निम्नलिखित छात्रवृतियां दी हैं:-

योजना का नाम	लाभकारी छात्रों की संख्या	व्यय की गई राशि
1 भारत सरकार राष्ट्रीय छात्रवृति योजना	575	3,90,733-15 पैसे

2 प्राथमिक तथा माध्यमिक अध्यापकों के बच्चों के लिए योग्यता छात्रवृति	45	32389-70 पैसे
3 भारत सरकार राष्ट्रीय ऋण छात्रवृति योजना	777	4,57,515-00
4 भारत सरकार मैट्रिक-उत्तर अनुसूचित जातियों तथा न्यून आय वर्ग के छात्रों की छात्रवृति	3097	1189998-00
5 कालिजों में राज्य योग्यता छात्रवृति योजना	270	2,32,800/-
6 राज्य हरिजन कल्याण योजना	1496	7.93,000/-
7 विमुक्त जाति कल्याण योजना	12	2160/-

8 विश्वविद्यालय तथा अराजकीय कालिजों को अनुदान

इस अवधि के दौरान निम्नलिखित राशि अराजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को अनुदान के तौर पर दी गई :-

1 पंजाब विश्वविद्यालय	10.33 लाख
2 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	54.95 लाख
3 अराजकीय महाविद्यालयों को	30.42 लाख

समाज शिक्षा

हरियाणा शिक्षा विभाग ने हरियाणा की अनपढ़ जनता को शिक्षित करने हेतु राज्य में तीन प्रकार की योजनाए आरम्भ की हुई हैं :-

1 मुबाईल समाज शिक्षा केंद्र
2 प्रोढ़ शिक्षा परियोजना (महाराष्ट्र में ग्राम-शिक्षा अभियान के अनुसार)
3 किसान-शिक्षा तथा आरम्भिक शिक्षा कार्यक्रम

इन तीनों योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 69-70 की प्रगति का सक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है :-

मुबाईल समाज शिक्षा केन्द्र

यह स्कीम महेन्द्रगढ़ तथा जीद ज़िलों में काफी सफलतापूर्वक चल रही है। प्रत्येक जिले में 30 पुरुषों और स्त्रियों का एक दल है, जिसने इस वर्ष 79 गांवों को सैंटर के रूप में चुना। यह चलते फिरते केन्द्र अपने जिले में एक मुख्य केन्द्र अध्यापक तथा एक स्त्री-निरोक्षण अधिकारी की सरक्षता में निरीक्षित किए जाते हैं। मुख्य केन्द्र अध्यापक तथा स्त्री पर्यवेषक दोनों अधिकारी इन केन्द्रों के सफलतापूर्वक चलाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारीयों के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

स्त्रियों के केन्द्र दोपहर 12 बजे से 5 बजे तब कार्य करते हैं, जब कि पुरुषों के केन्द्रों में शिक्षा का कार्य सायं 5 बजे से रात्रि के

10 बजे तक होता है। यह समय गांव के लोगों की सुविधा के लिए रखा गया है। इन केन्द्रों में निम्नलिखित कार्यक्रम होता है:-

1 शिक्षा तथा कार्य-प्रशिक्षण
2 खेलकूद तथा अन्य विनोद आदि क्रियाएं
3 समाज-सेवा
4 चर्चा तथा प्रवचन

स्त्रियों के केन्द्रों मे प्रौढ़ औरत और युवा लड़कियों को न केवल पढ़ना लिखना ही सिखाया जाता है, अपितु उन्हें उन लाभदायक दस्तकारियों जैसे सिलाई, बुनाई, कढाई इत्यादि भी सिखाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनको गृह-कार्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए आचार, चटनी, मुरब्बों आदि को तैयार करने तथा एक अच्छी और पौष्टिक खुराक कैसी होती है तथा किस प्रकार तैयार होती है, के बारे भी जानकारी दी जाती है।

प्राय: देखा गया है कि स्त्रियों के केन्द्र पुरुषों का केन्द्रों की अपेक्षा अधिक प्रसिद्ध होते हैं। इन केन्द्रों की अवधि 6 मास होती है परन्तु यदि वहां का ग्रामीण जनता इन केन्द्रों की अवधि को बढ़ाने के पक्ष में हो तो इनकी अवधि को बढ़ाने की आज्ञा भी दे दी जाती है।

इसी योजना के अन्तर्गत विभाग की ओर से एक चलती फिरती गाड़ी, जिसमें प्रोजैक्ट तथा स्वास्थ्य और नगारिक शिक्षा संबधी फिल्में होती हैं, शिक्षा का प्रचलित करने के लिए तथा लोगों में फैली अनपढ़ता को दूर करने के लिए काम में लाई जाती है।

2. प्रौढ़ शिक्षा परियोजना :-

1967 से यह परियोजना अम्बाला, करनाल और रोहतक जिलों में आरम्भ की गई हैं। इस स्कीम के अनुसार 100 प्रौढ़

शिक्षा केन्द्र सांय के समय वहां के समुदाय की सुविधा के अनुसार प्राइमरी अध्यापकों द्वारा चलाये जा रहे हैं। इस अतिरिक्त कार्य के लिए इन अध्यापकों को पहले 4 महीने के शिक्षा संबंधी कार्य के लिए 15/- प्रति मास के हिसाब से मान देय के रूप में दिया जाता है। तथा आखिरी के दो महीने के लिए 10/- रु० महीने के अनुसार मानदेय दिया जाता है। शुरू २ में विचार था कि इस स्कीम को हर जिले के 100-100 गांवों में चालू किया जाएगा परन्तु अभी तक ग्रामीण जनता से पूरा सहयोग प्राप्त न होने के कारण इस परियोजना का विकास दूसरे ज़िलों में नहीं किया गया है।

3. कृषि तथा क्रियात्मक शिक्षा :-

कृषक-साक्षरता योजना का उद्देश्य कृषकों में कृषि संबंधी नयी-नयी किस्म की तथा अधिक उपजाऊ फसलों के बारे में जानकारी देना होता है। इसके द्वारा न केवल उन व्यक्तियों को पढ़ना-लिखना ही सिखाया जाता है, बल्कि उनको कृषि करने के नये-नये तरीके और उपज को बढाने के अनेकानेक उपाय भी बताये जाते हैं। इस तरह कृषकों की रुचि इस प्रकार की शिक्षा में सदा के लिये बनी रहती है। यह स्कीम भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही है तथा इस का खर्च भी भारत सरकार ही पूरा करती है। अत में यह कहा जा सकता है कि समाज-शिक्षा योजना हरियाणा जैसे पिछड़े हुए राज्य के लिए बहुत अधिक महत्व रखती है और ग्रामीण जनता में फैली अनपढ़ता को दूर करने के लिए हरियाणा राज्य सम्भव यत्न कर रहा है जिससे ग्रामीण जनता को प्राकृतिक शक्तियों का विकास हो सके और देश के लाभदायक नागरिक होने के साथ-साथ वे लोग कृषि के उत्पादन को भी बढ़ा सकें।

महिला शिक्षा

आज की भारतीय स्त्री एक नागरिक और गृहणी दोनों के कर्त्तव्य निभा रही है और उसे इन कर्त्तव्यों को सुचारू रूप से निभाने के योग्य बनाने के लिए कम से कम सामान्य शिक्षा का ज्ञान और उसकी विशेष रूचियों को पूरा करने के अवसर अवश्य प्रदान करने चाहिए। इसके साथ ही व्यवसायिक एवं व्यवहारिक शिक्षा में भी निपुण होने का अवसर उसे मिलना चाहिए। के: नटराजन ने एक बार कहा था कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो आज से 100 साल पहले मर चुका है, फिर से जीवित हो जाए तो सब से बड़ा परिवर्तन जो वह आज के संसार में देखेगा वह है नारी जीवन में महत्वपूर्ण क्रान्ति परन्तु इस क्रान्ति के होने पर भी स्त्री-शिक्षा अपेक्षतया अभी भी कम ही है। स्त्री शिक्षा का महत्व सर्वमान्य है और सरकार की ओर से तदनुसार इस कार्यक्रम को पर्याप्त मात्रा में प्रोत्साहन दिया गया है।

२. यह राज्य स्त्रियों की साक्षरता में वैसे ही पिछड़ा हुआ है। यहां पर इन की साक्षरता केवल 9.2% है। इस पिछड़ेपन के मुख्य कारण लोगों की अनभिज्ञता एवं अंध-विश्वास है जिसे जड़ से समाप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त मां-बाप की दरिद्रता एवं उपेक्षा स्त्री-शिक्षा के विकास में बहुत बड़ी बाधक है क्योंकि निर्धन मां-बाप लड़की को घर में काम-काज तथा कुछ धन कमाने के लिए अपना सहायक बना लेते हैं। इसके अतिरिक्त अनपढ़ एवं निर्धन मां-बाप को अपनी लड़कियों की शिक्षा में कोई सामाजिक एवं आर्थिक लाभ

नहीं दीखता क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए नौकरी के अवसरों की कमी है।

3. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए स्त्री-शिक्षा की महत्ता और भी बढ़ जाती है। मानव साधनों के पूर्ण विकास के लिए घरों में सुधार तथा बच्चों के आचार/व्यवहार को बचपन से ही उच्च ढंग से ढालने के लिए स्त्री-शिक्षा की महत्ता पुरुषों की शिक्षा से भी अधिक है। स्वाधीनता के संग्राम में भारतीय नारी ने मनुष्य के कन्धे से कन्धा जोड़कर युद्ध लड़ा। अब उसी समानता को ध्यान में रखते हुए भूख, अनभिज्ञता, बीमारी के विरुद्ध युद्ध को लड़ने के लिए स्त्री का शिक्षित होना पुरुष से भी अधिक लाभदायक है। यह सराहनीय बात है कि हरियाणा राज्य ने नारी को शिक्षा से सुसज्जित करने तथा शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठायें हैं।

4 वर्ष 1969-70 में हरियाणा राज्य में महिला शिक्षा संबंधी संस्थाओं एवं स्कूलों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

लड़कियों के स्कूलों तथा महाविद्यालयों की संख्या

संस्था की किस्म	राजकीय		अराजकीय	
	1968-69	1969-70	1968-69	1969-70
मिडल स्कूल	90	93	12	12
उच्च विद्यालय	48	63	60	60
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	22	22	4	4
महाविद्यालय	1	1	7	8

5 यह संतोषजनक बात है कि आज के युग में न केवल लड़कियां ही अधिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्सुक है, अपितु जन-साधारण ने भी लड़कियों की शिक्षा-संस्थाओं के साथ-साथ अब शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या में विचित्र, वृद्धि दिखाई हैं, जो निम्नलिखित तालिका मे विदित हो सकती है:-

वर्ष

शिक्षा अवस्था	1965-66	1968-69	1969-70
पहली से पांचवीं	201000	242868	239546
छटा से आठवीं	47000	65731	69908
नौवीं से ग्याहरवीं	15491	22610	26481
महाविद्यालय	5143	12254	10315

स्त्री शिक्षा को प्रोंहत्साहन देने हेतु छात्राओं के लिए कई प्रकार की निम्नलिखित छात्रवृतियां भी दी जाती है जैसे:-

हरिजन-कल्याण स्कीम के अंतर्गत हरिजन एवं पिछड़ी जातियों को उन छात्राओं को जिनके मां-बाप की वार्षिक आय 1800 रुपये से कम है, और जो नौवीं से ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ती हैं को मुफ्त पढाई के अतिरिक्त 6 रु० मासिक छात्रवृति भी दी जाती है। इस प्रकार की सुविधा कालिज अवस्था में भी लागू है, परन्तु वहां छात्रवृति में बढ़ौती कर दी जाती है। वर्ष 1969-70 में छात्र-वृतियां पाने वाले उपरोक्त विद्यार्थियों की गिनती नीचे दी गई है।

छात्रवृत्तियों की संख्या

छात्रवृति का नाम	कुल	केवल लड़कियों के लिए	मासिक दर
1 मिडल स्कूल छात्रवृति	1014	406	10
2 उच्च स्कूल योग्यता छात्रवृति	660	406	15
3 राज्य योग्यता छात्रवृति मैट्रिक/उच्च माध्यमिक (पहले भाग की परीक्षा)	95	47	22
4 भारत सरकार की योग्यता छात्रवृति, संस्कृत पढ़ने के लिए (मिडल स्कूल परीक्षा के आधार पर उच्च कक्षा के लिए)	20	7	10
5 कालेज अवस्था में विश्वविद्यालय की भिन्न-2 परीक्षाओं के लिए (लडकियों के लिए योग्यता छात्रवृति)	230	75	45

इसके अतिरिक्त छात्राए, लड़कों के समान कालेज स्तर की योग्यता-छात्रवृति की पात्र भी हैं।

राज्य का शिक्षा विभाग भी सजग एवं सतर्क है, अतः अधिक से अधिक छात्राओं को शिक्षा-संस्थाओं में भर्ती करने के लिए निम्नलिखित प्रयत्न रिपोर्टाधीन वर्ष में किए गए हैं :-

1 राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में स्त्री-शिक्षा का महत्व हर मां-बाप को समझाने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी तथा निरीक्षण अधिकारियों ने घर-घर में प्रभावशाली प्रचार किया है।

2 प्राइमरी स्कूलों में अधिक संख्या में स्त्री-शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। चूंकि बालिकाओं के लिए अलग प्राइमरी स्कूल नहीं है, इससे अधिक से अधिक छात्राएं प्राथमिक विद्यालयों में भी भर्ती हो सकेंगी।

3 स्त्री-रूचि का विषय संगीत, वर्ष 1969-70 में 15 कन्या उच्च स्कूलों में आरम्भ किया गया ताकि हरियाणा राज्य की स्त्री में भी ललित कक्षाओं में रूचि उत्पन्न की जा सके। इसका ब्यौरा निम्नलिखित है :-

ज़िला	कन्या उच्च स्कूलों की संख्या
अम्बाला	2
गुड़गांव	3
हिसार	3
जींद	2
करनाल	3
महेन्द्रगढ़	1
रोहतक	1
कुल	15

4 चतुर्थ पंच वर्षीया योजना के अन्तर्गत राज्य में छात्राओं एवं स्त्री शिक्षकों के लिए 6 संयुक्त छात्रावास बनाने के लिए 13 लाख रु० की राशि निर्धारित की गई है। ऐसा करने से आस-पास के इलाके की बालिकाओं को विद्यालयों में शिक्षा प्राप्ति की सुविधा होगी और उनके रहने की व्यवस्था भी हर प्रकार से सुरक्षित रहेगी। वर्ष 1969-70 में गांव नहरा (ज़िला रोहतक) में 1-43 लाख रु० की राशि की लागत से छात्रावास के भवन निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

5 राज्य की सरकार ने लड़कियों को लड़कों के प्रशिक्षण स्कूलों में सीटों की उपलब्धि के अनुसार दाखिल होने की सुविधा भी दे रखी है।

6 शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश के सम्बन्ध में दुःखी स्त्रीयों, जैसे कि विधवाओं और अपने पतियों से अलग रहने वाली तथा विवाह-विच्छेद वाली स्त्रीयों, को दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए कुछ सीटें भी आरक्षित हैं।

7 छात्राओं से फीस भी लड़कों के मुकाबले आधी ली जाती है।

अध्याय दशम

विविध

१ पूर्व प्राथमिक शिक्षा

हरियाणा राज्य में पिछले कुछ वर्षों से पूर्व प्राथमिक शिक्षा के साधनों के विकास में काफी उन्नति की है। इस समय राज्य में निम्नलिखित पूर्व प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं:-

पुनर्गठन से पहले (१) नीलोखेड़ी (करनाल)
(२) नारनौल (महेन्द्रगढ़)
पुनर्गठन के पश्चात (वर्ष १९६९-७० में खोले गये)
(३) सांपला (रोहतक)
(४) लोहारी माधो (हिसार)

२, सौंदर्यमय शिक्षा या रसग्राहिक शिक्षा

अच्छी शिक्षा प्रणाली वही है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के पूरे विकास के बारे में होता है तथा उनमें सौंदर्यमय शिक्षा पर भी पूरा-२ बल दिया होता हैं, जैसाकि गायन शिक्षा, नाटक खेलना, नाचना, लोकगीत, तस्वीरें आदि खीचना। यह न केवल पुस्तक-शिक्षा के रूखेपन को दूर करते हैं अपितु विद्यार्थियों को अपने विचार तथा भावनाओं को दर्शाने का भी अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षा विभाग ने गायन तथा ललितकलाओं के विषय निम्नलिखित महाविद्यालयों में चालू किये:--

महाविद्यालय

(1) राजकीय महाविद्यालय, गुड़गांव
(2) राजकीय महिला महाविद्यालय, रोहतक
(3) राजकीय महाविद्यालय, हिसार
(4) राजकीय महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र
(5) शिक्षा महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र
(6) राजकीय महाविद्यालय, जीन्द

हरियाणा राज्य ने रिवाड़ी, भिवानी, अम्बाला शहर, पानीपत, करनाल तथा रोहतक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भी इन ललितकलाओं के विषयों के पढ़ने का पूरा-2 प्रबन्ध कर रखा है। दिन प्रतिदिन लड़कियों की रुचि इस विषय में बढ़ रही है।

5 राज्य पुस्तकालय

वर्ष 196 -70 में जीन्द में एक पुस्तकालय खोला गया। 3 पुस्तकालय अम्बाला कैन्ट, नारनौल और हिसार में पूर्व वर्षों में स्थापित किये चुके हैं। स्वीकृत अनुदान पुस्तकों की संख्या तथा सदस्यों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्रम संख्या	पुस्तकालय का नाम	स्वीकृत राशि	पुस्तकों की संख्या	सदस्यों की संख्या
1	ज़िला पुस्तकालय जींद	25000/-	2000	23
2	जिला पुस्तकालय, हिसार	10000/-	7007	69
3	स्टेट लाईब्रेरी, अम्बाला कैंट	15000/-	20467	930
4	ज़िला पुस्तकालय, नारनौल	5000/-	11200	518

6 पाठय पुस्तकें

हरियाणा राज्य में कक्षायें 1 से ८ तक की पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया हुआ है तथा सयुक्त पंजाब की पुस्तकें अब तक लागू हैं।

माध्यमिक स्तर तक 123 पुस्तकें प्रयोग मं आ रही हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :---

संस्कृत	3
हिन्दी	57
पंजाबी	57
इंग्लिश	3
इंग्लिश व्याकरण	3
जोड़	123

7 स्कूल फिडिंग प्रोग्राम

एक नवम्बर 1966 से राज्य में स्कूल फिडिंग प्रोग्राम की स्कीम चालू है। इस अवधि के दौरान 81 शिक्षा खण्डों (59 विकास खण्डों) में यह लागू है। इस स्कीम के अधीन 3.2 लाख ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुँचता है। इस स्कीम का प्रबन्ध 1-4- 68 से पूर्व संचालन विकास विभाग ने शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। दूध के पाउडर की अपेक्षा सी०एस०एम० का दूध का पाउडर तथा सलाद का तेल दिया जाता है।

3 संस्कृत शिक्षा

राज्य में संस्कृत शिक्षा के विकास पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पराजना, विशारद शास्त्री की कक्षायें अम्बाला शहर में

एस० डी० महाविद्यालय में चल रहो हैं। यह महाविद्यालय पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़ से एफीलिएटिड है। रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य के सस्कृत/गुरुकुल विद्यालयों को भाषा विकास हेतु एक लाख रुपया अनुदान के रूप में दिया गया।

४ अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग को शिक्षा :-

अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को सभी प्रकार की शिक्षा अर्थात् शैक्षणिक, व्यवसायिक, तकनीकी इत्यादि के लिए सुविधाएं तथा अन्य आर्थिक सहायता भी दी जाती है। अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भी बिना किसी भेदभाव के राज्य की सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में दाखिला ले सकते हैं। उन्हें राज्य हरिजन (शिक्षा) कल्याण योजना के अधीन निम्नलिखित शिक्षा सुविधाएं दो जाती है :--

(१) पांचवी कक्षा से लेकर एम० ए०/एम० एस० सी० कक्षाओं तथा निशुःलक शिक्षा।

(२) नौवीं कक्षा से छात्रवृतियां स्वीकृत की जाती हैं।

(३) परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति।

अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक उपरान्त स्तर पर भारत सरकार की योजना के अधीन टयूशन फीस परीक्षा शुल्क और अधिक मात्रा की राशि की छात्रवृति इत्यादि भी दी जाती है।

1969-70 मे इन योजनाओं पर जो व्यय किया वह इस प्रकार है :--

	प्लान	नान प्लान
(1) 18 एजूकेशन-एफ-जनरल-टी-एक्सपैन्डीचर फार प्रोमोशन आफ-ऐजूकेशन एमंगस्ट ऐजू-केशन बैकवर्ड कलासीज़।	15,00,000	11,00,000
(२) 18 ऐजूकेशन-एफ-जनरल-आर स्कालरशाप एवार्ड, आफ-स्टाईपैन्ड टू विमुक्त जाति।	18,000	13,300
(३) 18-ऐजूकेशन-एफ-जनरल-आर-स्कालरशीप एवार्ड आफ-स्टाईपैन्ट टू-शडूल्ड कास्ट/एल०आई०जो स्टूडैन्टस-एट-पोस्ट मैट्रिक स्टेज (एल०आई०जी०)	4,00,000	7,65,000

8 शारीरिक शिक्षा

हरियाणा राज्य शिक्षा प्रणालो में शारीरिक शिक्षा को अब एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में विभागीय पाठ्यक्रम अनुसार उच्च/उच्तर माध्यमिक विद्यालयों में नैशनल फिटनैस कोर के अधीन विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती है जिसमें पाठ्क्रम भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया हुआ है। पंजाब के पुर्नगठन के समय हरियाणा राज्य में कोई भी शारीरिक शिक्षा विद्यालयों/महाविद्यालयों में शुरू नहीं हुई थी। इस कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने शारीरिक शिक्षा प्रमाण-पत्र परीक्षा का आयोजन किया जिसके अधीन प्रथम बार

1970 में निम्नलिखित विद्यालयों में एक यूनिटस से परीक्षार्थी बैठे :-

(1) छज्जू राम शिक्षा महाविद्यालय, हिसार।

(2) बी० पी० एस० शिक्षा महाविद्यालय, खानपुर कलां (रोहतक) केवल कन्याओं के लिए।

(3) पंजाब विश्वविद्यालय को शारीरिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए एक डिगरी कोर्स भी आरम्भ कर दिया है।

9 क्रीड़ा क्रियाएं (खेलकूद)

शारीरिक शिक्षा के साथ-साथ हरियाणा के विद्यालयों में क्रीड़ा क्रियाएं तथा खेल कूद को भी शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। दूसरे राज्यों के साथ-साथ रहने तथा खेल कूद की क्रियाओं को विद्यालयों में प्रचलित करने के अतिरिक्त अलग-अलग खेलों के लिए निदेशक, खेल कूद, हरियाणा के सहयोग से विद्यालयों में लड़कियों तथा लड़कों की टीमें तैयार की जाती हैं। जिला प्रतियोग्यता में जो टीमें आगे रहती हैं वे दूसरे राज्यों की टीमों से खेलने के लिए भेजी जाती हैं। रिपोर्ट की अवधि के अन्तर में जिला क्रीड़ा प्रतितोग्यता के लिए दो हज़ार रुपया तथा ग्रीष्म तथा शरद ऋतु की प्रतियोग्यता के लिए 8 हज़ार रुपया अनुदान के रूप में दिया गया।

हरियाणा राज्य भारत गेमज़ फैडरेशन का सदस्य भी है तथा इस राज्य के विद्यार्थी भी राष्ट्रीय चैंमपीयनशीप में भाग लेते रहते हैं।

10 बुआयज़ स्काऊट तथा गर्ल गाइड :-

भारत स्काऊट तथा गाईड एसोसिएशन के अधीन इस आन्दोलन को महत्वपूर्ण बनाया जाता है ।

इसकी एक शाखा पंजाब/हरियाणा के चण्डीगढ़ में स्थित है । जो हरियाणा के सारे आन्दोलनों पर नियन्त्रण रखते हैं । हरियाणा के विद्यालयों में बुआज़ स्काऊट तथा गर्ल गाईड के आन्दोलन द्वारा छात्रों में सदभावना तथा समाज और देश सेवा करना सिखाया जाता है । हरियाणा राज्य इस शाखा को प्रतिवर्ष 56 हज़ार रुपये अनुदान स्वीकृत करती है ।

11 रैड क्रास निधि

राज्य के सभी छात्रों से रैड क्रास फण्ड जमा किया जाता है जिसका प्रयोग विद्यालयों के मुख्यअध्यापक अपने स्तर पर रैड क्रास कमेटी एंव राज्य के नियमानुसार इस निधि से विशेषकर दवाईयाँ, कम्बल तथा कपड़े आदि पर व्यय कर सकते हैं । कुछ बच्चों को किताबें तथा वर्दीयां भी इस निधि से दी जातो हैं । इसके अतिरिक्त इस निधि से विद्यालयों में शोचालय भी बनवाये जा सकते हैं । पीने के पानो का प्रबन्ध भी इसमें से किया जाना है ।

12 एन० सी० सी०

पजाब यूनीवर्सिटी ने १९६८ में एन० सी० सी को एक अनि-० कार्य विषय की बजाये इच्छुक (ओपशनल) विषय करार दे दिया था, परन्तु महाविद्यालय की इस पालिसी में परिवर्तन के बावजूद भी हरियाणा राज्य में एन ० सी० सी० के कार्य में कोई विशेष कमी नही आई इसमें अब भो स्कूल तथा कालेजों के विद्यार्थी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं । हरियाणा राज्य में एन० सी० सी० के विभिन्न यूनिटों में प्रशिक्षण ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है :---

सीनीयर डिवीजन

यूनिट का प्रकार	कैडिट की संख्या
नावल यूनिट	200
एयर स्कार्डन	400
इनफैन्ट्री यूनिट	21, 600
कन्या बटालियन	2,800
कुल जोड़	25,000

जूनियर डिवीज़न

आरमी विंग	15,200
नावल विंग	500
एयर विंग	1,400
कन्या विंग	1,200
सैनिक स्कूलज़	500

केन्द्रीय स्कूल

आरमी विंग	100
एयर विंग	100
कन्या विंग	100
कुल जोड़ यूनियनडिवीजन तथा केन्द्रीय स्कूल	19,100
सारा जोड़	44,100

इसके अतिरिक्त कई संस्थाओं ने एन० सी० सी०ट्रूपों की मांग की हैं परन्तु प्रशासनिक कठिनाईयों के कारण १९६९-७० वर्ष में केवल दस स्कूलों में नये एन० सी० सी० ट्रूप खोले गये। इसके अतिरिक्त दो नई एन० सी० सी० बटालियने तथा एक नावल यूनिट खोले गये ।